


आदेश

बिहार पुलिस खेल-कूद नीति-2013 की कंडिका-3 (ii) के तहत "40 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद वैसे खिलाड़ी, जो NIS का डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग (14 माह कोर्स) में उत्तीर्ण हों, उन्हें प्रशिक्षक के रूप में चयनित होने पर खेल प्रशिक्षक का कार्य" करने का प्रावधान है। खेल टीम के प्रशिक्षक की प्रतिनियुक्ति के चयन हेतु आदेश ज्ञापांक-755/373773/खेल दि.-08.06.18 से गठित बिहार राज्य पुलिस खेल-कूद चयन समिति को अनुसंशा के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

समिति राज्य स्तरीय प्रत्येक खेल-कूद स्पर्धा टीम प्रशिक्षक के लिए खेल नीति के तहत पारदर्शी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा।


 पुलिस महानिदेशक,
 बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1457/394647/खेल


105-01-04-2018

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 25.10.18

प्रतिलिपि:-

1. सभी पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी सदस्य, बिहार राज्य पुलिस खेल-कूद चयन समिति को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी पुलिस महानिरीक्षक (प्रक्षेत्रीय/रेलवे/इकाई सहित), बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक (इकाई सहित)/सभी सहायक/सभी प्राचार्य, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस उपाधीक्षक-सह-खेल प्रभारी, खेल कार्यालय (खेल भवन), बि0सै0पु0-5, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. पुलिस उपाधीक्षक, नियंत्रण कक्ष/आई0टी0मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


 पुलिस महानिदेशक,
 बिहार, पटना।